Hindustan, 5 June 2005

विकास क्षेत्र यमकेश्वर पौडी गढ़वाल

मुख्यालय

UTTARAKHAND UEPPCB

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

ई – 115 नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड, देहरादून दूरभाष: 0135–2668084, फैक्स: 2668092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मै० उत्तरांचल फोरेस्ट डेवेलपमेन्ट कॉरपोरेशन, देहरादून द्वारा जनपद देहरादून की सौंग नदी–1 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में सौंग नदी–1 से रेता, बजरी का संग्रह किया जाना है। प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा Term of reference निर्धारित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 दिनांक 14.09.06 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है। जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु पैनल की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है।

1. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ, बोर्ड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून, कार्यालय जिला पंचायत, देहरादून एवं जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून में उपलब्ध हैं। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.uttara.in एवं ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि उत्तरांचल फोरेस्ट डेवेलपमेन्ट कॉरपोरेशन द्वारा जनपद–देहरादून की सौंग नदी–1 में प्रस्तावित लघु लवणों के संग्रहण की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 07.07.2010 को प्रातः 11:00 बजे से मिलन केन्द्र, कालुवाला, डोईवाला, देहरादून में निर्धारित की गई है। अतः जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनें मौखिक, लिखित, सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां और आक्षेप इस कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव

पर्यावरण संरक्षण में आप भी सहयोग कर सकते हैं।

क्र०स०	साम
1	4m G.I

शर्तें:–

1. बिना क… के पास
2. मात्रा एव…
3. प्राप्त को…
4. सम्बन्धि… उक्त म…
5. कोटेशन… प्रति संल… जिसका… साथ सं…
6. कोटेशन… की प्रमा…
7. सामान… फलतः… होगा।
8. कोटेशन… बैंक की… खण्ड-2… कोटेशन
9. दरे सभी
10. कोटेशन
11. गुणवत्ता
12. शशर्त…
13. कोटेशन… की धरो…
14. भुगतान
15. विभिन्न

पत्रांकः 1126/